भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 105

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025 / 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

असम में चाय बागान कामगारों की नौकरी की सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय

†*105. **श्री गौरव गोगोईः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असम में ऐसे चाय बागान कामगारों की संख्या के संबंध में आंकड़े हैं जिनके पास नौकरी संबंधी औपचारिक संविदा, स्वच्छता सुविधाओं की सुलभता और भविष्य निधि के लाभ नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा चाय बागान कामगारों, विशेषकर महिला कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज, मातृत्व लाभ और कार्यस्थल की दशा में सुधार लाने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार असम में चाय बागान के सभी कामगारों और उनके परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान करने का है; और

(घ) क्या चाय बागान क्षेत्र में कल्याणकारी और श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी या शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"असम में चाय बागान कामगारों की नौकरी की सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय" के संबंध में श्री गौरव गोगोई द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 105* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): असम राज्य में, चाय बागान प्रबंधन द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान लगभग 3,21,516 कामगार, नैमित्तिक रूप से नियोजित है जिनमें 1,20,670 पुरुष और 2,00,846 महिलाएं शामिल हैं।

चाय बागान कामगारों के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत यथा अधिदेशित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान किए जाने और उनका लाभ उठाए जाने का उपबंध किया गया है। इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है, जो 21/11/2025 से लागू हो गई हैं।

जहां तक भविष्य निधि कवरेज का संबंध है, असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ) भविष्य निधि विनियमों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए चाय बागानों का नियमित निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों से उन कामगारों की पहचान करने में मदद मिलती है जो नामांकन न होने, कम रिपोर्टिंग होने या प्रबंधन की ओर से अन्य खामियों के कारण भविष्य निधि के लाभों से वंचित रह गए हैं। जब कभी ऐसे मामलों का पता चलता है, तो एटीईपीएफओ यह सुनिश्चित करने के लिए संगत नियमों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करता है कि सभी पात्र कामगारों को तत्काल कवर किया जाए और उनकी सांविधिक हकदारियों की रक्षा की जाए।

सरकार द्वारा चाय बागान क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की पहल शुरू की गई हैं, जिनमें शामिल हैं -

i. असम राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 2018 को शुरू की गई चाय बागान क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करना है। चार किस्तों में प्रदान किया जाने वाला 15,000/- रुपये का नकद लाभ, महिलाओं को घरेलू आजीविका से समझौता किए बिना अपनी और अपने अजन्मे बच्चे की देखभाल करने में सक्षम बनाता है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। अब तक 1,75,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है।

ii. चाय बागान कामगारों को नि:शुल्क डिलीवरी, औषधि, निदान, परिवहन और नवजात शिशु परिचर्या के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जैसी योजनाओं के तहत भी कवर किया जाता है।

iii. प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना (पीएम-सीएसवाई) के तहत, वर्ष 2024-25 से 2025-26 के लिए ₹999 करोड़ के परिव्यय के साथ, चाय बागानों में विश्राम शेड का निर्माण किया जा रहा है।

iv. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के तहत, दो बच्चों तक के लिए वेतन के साथ 6 माह का मातृत्व अवकाश उपलब्ध है; तीसरे बच्चे के लिए वेतन के साथ 84 दिनों का मातृत्व अवकाश लागू होता है।

बागान श्रम अधिनियम, 1951 के तहत कल्याणकारी उपायों के अलावा, चाय बोर्ड द्वारा अपनी चाय विकास और संवर्धन योजना (टीडीपीएस) के माध्यम से, असम सहित देश भर में निम्नलिखित गतिविधियां की जा रही हैं:

- कामगारों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर
- बड़े चाय बागान कामगारों और छोटे चाय उत्पादकों (1.00 हेक्टेयर तक) के बच्चों के लिए मेधावी छात्रों (कक्षा X और XII) हेतु शैक्षिक सहायता और पुरस्कार।
- बंद हो चुके चाय बागानों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कामगारों के बच्चों को पुस्तक और यूनिफॉर्म सहायता।
- बंद हो चुके चाय बागानों में कामगारों के निःशक्त और गंभीर रूप से बीमार आश्रितों के लिए सहायता

इसके अलावा, एटीईपीएफओ भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना, डिपॉजिट लिंक्ड बीमा और ग्रेच्युटी योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में कामगारों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से चाय बागानों में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संवादात्मक सत्र आयोजित करता है। इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता में सुधार करना, कामगारों के प्रश्नों का समाधान करना और अपने अधिकारों और लाभ प्रक्रियाओं की समझ सुनिश्चित करना है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, बागान कामगारों के लिए एक विस्तृत और व्यापक कल्याणकारी ढाँचे का प्रावधान करती हैं। इन संहिताओं में सीधे नियोक्ता द्वारा या ईएसआईसी व्यवस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ के प्रावधान हैं। इन संहिताओं के माध्यम से बागान कामगारों के लिए स्वच्छ पेयजल, रसोई और शौचालय सुविधाओं सहित पर्याप्त आवास सुविधाओं को अनिवार्य कर दिया गया है। 100 या अधिक कामगारों वाले संस्थापनों के लिए अनिवार्य कैंटीन, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थापनों में क्रेच और जहां बागान कामगारों के 25 या अधिक बच्चे (6-12 वर्ष) निवास करते हैं, वहां शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए कल्याणकारी प्रावधानों को सुदृढ़ किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की पहली अनुसूची में बागान मालिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत अपने कामगारों को पंजीकृत करने की अनुमति देने वाला एक समर्थकारी प्रावधान किया गया है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, भारत की आबादी के 40% निचले हिस्से वाले 12 करोड़ परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। असम में, वैध राशन

कार्ड वाले सभी चाय बागान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत कवर किया जाता है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत, बीस या उससे अधिक कामगारों को रोजगार देने वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान को व्यक्तिगत विवादों के समाधान के लिए एक अनिवार्य रूप से शिकायत निवारण समिति का गठन करना होगा। कोई पीड़ित कामगार वाद हेतुक (कॉज ऑफ एक्शन) के एक वर्ष के भीतर समिति के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है। समिति द्वारा प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कार्यवाही पूरी करना अपेक्षित होता है।

इसके अलावा, एक सौ अथवा उससे अधिक कामगारों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, समुचित सरकार नियोक्ता को एक कार्य समिति गठित करने का निर्देश दे सकती है। यह समिति नियोक्ता और कामगारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने, सामान्य हित के मामलों पर चर्चा करने और विचारों के महत्वपूर्ण मतभेदों का समाधान करने का प्रयास करने के लिए जिम्मेदार होती है।

इसके अलावा, कोई कामगार सुलह अधिकारी के समक्ष विवाद उठा सकता है; यदि सुलह विफल हो जाती है, तो मामले को अधिनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण के पास भेजा जा सकता है।

इसके अलावा, असम सरकार द्वारा चाय बागान क्षेत्रों के लिए एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र को मंजूरी दी गई है। एटीईपीएफओ द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से शिकायत प्रणाली भी संचालित की जाती है। एक सांविधिक प्राथमिक समिति, जिसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, शिकायतों को दूर करने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ काम करती है। इसके अतिरिक्त, एक ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच का विकास शुरू किया गया है।

*****